महाराज कृष्ण भट्ट एवं अन्य

बनाम

जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 8481-8482 / 2003)

1 अगस्त, 2008

[सी.के. ठक्कर तथा लोकेश्वर सिंह पंता, न्यायमूर्ति]

सेवा विधि - नियुक्ति - पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति - कुछ कांस्टेबलों द्वारा पुलिस मैनुअल के विनियम में शिथिलता प्रदान कर प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की मांग करते हुए प्रतिवेदन - उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका - एक कांस्टेबल की याचिका में राहत प्रदान की गई और वह निर्णय उच्चतम न्यायालय तक पुष्टि किया गया - वर्तमान कांस्टेबलों को उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा उसी कांस्टेबल के मामले के निर्णय पर भरोसा करते हुए राहत प्रदान की गई - रिट अपील तथा पुनर्विचार में राहत से इनकार - अपील में निर्णय : माननीय एकल न्यायाधीश का आदेश वैध, न्यायोचित तथा न्याय की उन्नति में था - उन्होंने अन्य कांस्टेबल के मामले पर सही रूप से भरोसा किया - खंडपीठ द्वारा राहत से इनकार करना गलत था क्योंकि अन्य कांस्टेबल का मामला वर्तमान कांस्टेबलों से भिन्न नहीं था - जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मैनुअल - अध्याय VII - विनियम 174.

अपीलकर्ता तथा तीन अन्य, जो जम्मू एवं कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल थे, ने पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अपने मामलों पर विचार करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मैनुअल के अध्याय VII के विनियम 174 में शिथिलता प्रदान कर 50% प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के अंतर्गत नियुक्ति की मांग की गई। एक कांस्टेबल के नाम की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई जबकि अन्य के प्रतिवेदन अस्वीकार कर दिए गए। अपीलकर्ताओं तथा अन्य एक कांस्टेबल ने उच्च न्यायालय के समक्ष पृथक रिट याचिकाएँ दायर कीं। अपीलकर्ताओं की रिट याचिका में न्यायालय के निर्देश के बावजूद उनके मामलों पर विचार नहीं किया गया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एल.पी.ए. में की गई टिप्पणियों के आधार पर उन्होंने नई रिट याचिका दायर की।

इस बीच अन्य कांस्टेबल द्वारा दायर रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा क
स्वीकार कर ली गई और वह निर्णय इस न्यायालय तक पुष्टि किया गया।

उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं की रिट याचिका
स्वीकार करते हुए अन्य कांस्टेबल के मामले के निर्णय पर भरोसा किया। रिट अपील
में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त ख
कर दिया। उसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई। परिणामस्वरूप
वर्तमान अपीलें दायर की गईं।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :1.1 उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा ग
पारित आदेश वैध, उचित तथा न्याय, समानता और निष्पक्षता की उन्नति में था।
खंडपीठ को उस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। [पैरा 16] [680-सी; 679-
डी]

1.2 उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा अन्य कांस्टेबल के घ
मामले में पारित निर्णय का अनुसरण करते हुए समान निर्देश जारी करना विधि की
दृष्टि से त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह विशेष रूप से इसलिए सही था क्योंकि उस
अन्य कांस्टेबल के मामले में माननीय एकल न्यायाधीश का निर्णय उच्च न्यायालय
की खंडपीठ तथा इस न्यायालय द्वारा भी पुष्टि किया गया था। [पैरा 15] [678-जी- ङ
एच; 679-ए]

1.3 निष्पक्षता की दृष्टि से तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य
कांस्टेबल के मामले में निर्णय अंतिम हो चुका था, राज्य प्राधिकारियों को उसी प्रकार च
के लाभ वर्तमान रिट-याचिकाकर्ताओं को भी प्रदान कर देने चाहिए थे। [पैरा 17] [680-
ए-बी]

1.4 खंडपीठ के समक्ष ऐसा कोई भिन्न तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे छ
यह कहा जा सके कि अन्य कांस्टेबल का मामला वर्तमान अपीलकर्ताओं से भिन्न था।
न ही खंडपीठ ने माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर निरस्त
किया कि यद्यपि अन्य कांस्टेबल को लाभ दिया गया था, किन्तु अपीलकर्ता उसके
अधिकारी नहीं थे क्योंकि उनका मामला भिन्न था। इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसा ज
कोई विशेष अथवा असाधारण तथ्य अथवा परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई जिससे अन्य
कांस्टेबल और अपीलकर्ताओं के मामले में भेद स्थापित किया जा सके। [पैरा 16]
[679-बी-डी] झ

क **1.5 यह सही है कि यदि कोई अवैध कार्यवाही की गई हो तो समान स्थिति वाला व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 अथवा 16 का सहारा लेकर उसी प्रकार की अवैध राहत की मांग नहीं कर सकता। किन्तु वर्तमान मामले में अन्य कांस्टेबल द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार करते समय माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई थी और आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। चूँकि वह कार्यवाही विधि के**
ख **अनुरूप थी, खंडपीठ ने उसे पुष्टि की तथा इस न्यायालय ने भी उस आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा और विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। [पैरा 17] [679-एफ-जी]**

ग **1.6 माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुसार अपीलकर्ताओं को सभी लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। [पैरा 18]**

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील संख्या 8481-8482/2003

जम्मू स्थित जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. (एस.डब्ल्यू.) संख्या 466/2001 में दिनांक 11.10.2002 तथा समीक्षा एल.पी.ए. (एस.डब्ल्यू.) संख्या
घ 42/2002 में दिनांक 11.02.2003 को पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

दिनेश कुमार गर्ग, बी.एस. बिल्वोरिया, मंसूर अली खान तथा अभिषेक गर्ग – अपीलकर्ताओं की ओर से।

ङ अंजनी कुमार झा, एस. मेहदी इमाम तथा अनीस सुहरावर्दी – प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय

च **सी.के. ठक्कर, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया। 1. वर्तमान अपीलें जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय (जम्मू पीठ) द्वारा 11 अक्टूबर 2002 को एल.पी.ए. (एस.डब्ल्यू.) संख्या 466/2001 में पारित निर्णय एवं आदेश तथा 2 फरवरी 2003 को
छ समीक्षा (एल.पी.ए.एस.डब्ल्यू.) संख्या 42/2002 को अस्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मैनुअल के अंतर्गत पुलिस उपनिरीक्षक (संक्षेप में 'पीएसआई') के कुछ पद भरे जाने थे। वर्तमान
ज अपीलकर्ता कांस्टेबल थे। उन्होंने 8 जनवरी 1987 को मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अमीन तथा हमीदुल्लाह डार के साथ एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसी दिन अब्दुल राशिद राठर नामक व्यक्ति द्वारा भी जम्मू एवं कश्मीर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री
झ को इसी प्रकार का एक प्रतिवेदन दिया गया। दोनों प्रतिवेदनों में यह अनुरोध किया

गया था कि जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मैनुअल के अध्याय VII के विनियम 174 के क
अंतर्गत 50% प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के विरुद्ध आवश्यक नियमों में शिथिलता प्रदान कर
आवेदकों के मामलों पर पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाए।

याचिकाकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को माननीय मुख्यमंत्री,
जम्मू एवं कश्मीर के कार्यालय द्वारा 14 जनवरी 1987 के अग्रेषण पत्र के माध्यम
से पुलिस महानिदेशक, जम्मू एवं कश्मीर को टिप्पणियों हेतु भेजा गया। उस समय के ख
पुलिस महानिदेशक, जम्मू एवं कश्मीर ने 23 जनवरी 1987 के अपने पत्र द्वारा केवल
हमीदुल्लाह डार के नाम की अनुशंसा पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर 50% प्रत्यक्ष भर्ती
कोटे के अंतर्गत नियुक्ति के लिए की। फलस्वरूप कांस्टेबल हमीदुल्लाह डार को 1 ग
अप्रैल 1987 के आदेश द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया।
शेष पाँच व्यक्तियों, जिनमें वर्तमान अपीलकर्ता तथा अब्दुल राशिद राठर भी शामिल
थे, के नाम की न तो अनुशंसा की गई और न ही उन्हें पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर
नियुक्त किया गया। अपीलकर्ताओं ने मोहम्मद अब्बास तथा मोहम्मद अमीन के साथ
मिलकर जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में एस.डब्ल्यू.पी. संख्या 351/1987 दायर घ
की। उक्त रिट याचिका का निपटारा 13 सितम्बर 1991 को किया गया और पुलिस
महानिदेशक, जम्मू एवं कश्मीर को निर्देश दिया गया कि वे याचिकाकर्ताओं के मामलों
पर नियमों में शिथिलता प्रदान कर पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विचार
करें। अब्दुल राशिद राठर ने भी इसी प्रकार की एक याचिका दायर की जो श्रीनगर ङ
स्थित जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में एस.डब्ल्यू.पी. संख्या 519/1987 के रूप
में पंजीकृत हुई। उक्त याचिका भी स्वीकार कर ली गई और *नियम निसी* जारी किया
गया।

च

3. जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय (जम्मू पीठ) द्वारा एस.डब्ल्यू.पी. संख्या
351/1987 में दिए गए निर्देश के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक ने अपीलकर्ताओं,
मोहम्मद अब्बास तथा मोहम्मद अमीन के मामलों पर विचार किया, किन्तु 13 दिसम्बर
1991 के आदेश द्वारा बिना कोई कारण बताए उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। अतः छ
उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका संख्या 24/1992 दायर की और
पुनः उच्च न्यायालय ने 16 सितम्बर 1992 के आदेश द्वारा आवेदकों के मामलों पर
पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। तथापि, पुनः भी आवेदकों को कोई लाभ प्रदान नहीं ज
किया गया। इसके पश्चात् दिसम्बर 1992 में एक अन्य अवमानना याचिका संख्या
162/1992 दायर की गई, जिसका निपटारा 9 मई 1994 को किया गया। इन
परिस्थितियों में अपीलकर्ताओं ने 9 मई 1994 के आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील

झ

संख्या 45/1994 दायर की। उक्त अपील का निपटारा 11 जुलाई 1997 को किया गया। खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुपालन में अपीलकर्ताओं ने जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर में नई रिट याचिका एस.डब्ल्यू.पी. संख्या 3735/1997 दायर की, जिसे बाद में जम्मू पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया।

4. इसी बीच, कांस्टेबल अब्दुल राशिद राठर द्वारा दायर एस.डब्ल्यू.पी. संख्या 519/1987 की सुनवाई माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष हुई और माननीय माननीय एकल न्यायाधीश ने 24 सितम्बर 1998 के निर्णय एवं आदेश द्वारा उक्त याचिका स्वीकार कर ली। अपीलकर्ताओं ने इस कार्यवाही में उक्त निर्णय की प्रति संलग्न की है। राज्य सरकार ने माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 8/1999 दायर की, किन्तु खंडपीठ ने 30 जुलाई 1999 के निर्णय एवं आदेश द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी। लेटर्स पेटेंट अपील का यह निर्णय भी अपीलकर्ताओं द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात् सरकार ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की, किन्तु वह भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई और इस प्रकार उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम हो गया।

5. अब्दुल राशिद राठर के मामले में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय, जिसे खंडपीठ तथा इस न्यायालय द्वारा भी पुष्टि प्राप्त हुई थी, के आलोक में अब्दुल राशिद राठर को 16 दिसम्बर 1999 को पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया तथा उन्हें 1 अप्रैल 1987 से सभी परिणामी लाभ प्रदान किए गए। उक्त आदेश की प्रति भी अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. उपर्युक्त निर्णय तथा उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में जब वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एस.डब्ल्यू.पी. संख्या 3735/1997 माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तब 30 अप्रैल 2001 के निर्णय एवं आदेश द्वारा उसे पूर्व निर्णय का अनुसरण करते हुए स्वीकार कर लिया गया। उस निर्णय में माननीय माननीय एकल न्यायाधीश ने, अन्य बातों के साथ, यह उल्लेख किया कि अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ताओं के मामले, रिट याचिका संख्या 519/1987 के याचिकाकर्ता (अब्दुल राशिद राठर) के मामले के समान हैं। अतः प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे अपीलकर्ताओं को नियुक्त करें और उन्हें वे सभी लाभ प्रदान करें जो रिट याचिका संख्या 519/1987 (अब्दुल राशिद राठर) के याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए थे।

7. माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से असंतुष्ट होकर जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 466/2001 दायर की। उक्त अपील को खंडपीठ द्वारा स्वीकार कर लिया गया। माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा रिट याचिका को खारिज करने का आदेश दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका भी खंडपीठ द्वारा खारिज कर दी गई। इन आदेशों को ही वर्तमान अपीलों में अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई है।

8. 28 अप्रैल 2003 को इस न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। 27 अक्टूबर 2003 को अनुमति प्रदान की गई। माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार 11 अप्रैल 2008 को रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि अपीलों को "ग्रीष्मावकाश के दौरान" सूचीबद्ध किया जाए। इसी प्रकार यह मामला हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

9. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना है।

10. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जोरदार तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अपील स्वीकार करना और माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को निरस्त करना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण था। यह कहा गया कि जब समान मामले में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा याचिका स्वीकार की गई थी और उस आदेश की पुष्टि न केवल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने की थी बल्कि इस न्यायालय ने भी की थी, तब मामला अंतिम रूप से अपीलकर्ताओं के पक्ष में तय हो चुका था और खंडपीठ को माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय को पलटना नहीं चाहिए था। यह भी कहा गया कि स्थापित विधि के अनुसार उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ उसी न्यायालय की दूसरी खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती। जब समान मामले में एक अन्य खंडपीठ ने माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया था, तब वर्तमान मामले में भी खंडपीठ को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि खंडपीठ को यह प्रतीत होता कि समान मामले में खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय विधि का सही प्रतिपादन नहीं करता या न्यायालय द्वारा राहत प्रदान करना उचित नहीं था, तो उपलब्ध एकमात्र उपाय यह था कि मामले को किसी 'वृहत्तर' पीठ को संदर्भित किया जाता। किन्तु खंडपीठ ने ऐसा नहीं किया। खंडपीठ को यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए था कि समान मामले में जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और विशेष

क अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई थी। अतः खंडपीठ के पास ऐसा कोई उचित
कारण नहीं था कि वह उन लाभों से इनकार करे जिनके वे अन्यथा अधिकारी थे, जो
समान स्थिति वाले कर्मचारी को प्रदान किए जा चुके थे और जिनके विरुद्ध की गई
कार्यवाहियों में राज्य प्राधिकारी इस न्यायालय तक असफल रहे थे।

11. अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि विवादित कार्यवाही संविधान के
ख अनुच्छेद 14 तथा 16 का स्पष्ट उल्लंघन है। यह कहा गया कि प्रारम्भ में ऐसा
उल्लंघन राज्य प्राधिकारियों, अर्थात् पुलिस महानिदेशक तथा राज्य सरकार द्वारा किया
गया, क्योंकि यद्यपि सभी कांस्टेबलों के मामले समान थे और प्रतिवेदन एक ही दिन
प्रस्तुत किए गए थे, तथापि पुलिस महानिदेशक, जम्मू एवं कश्मीर ने केवल हमीदुल्लाह
ग डार के नाम की अनुशंसा की, जिन्हें पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया
गया, जबकि अन्य समान स्थिति वाले आवेदकों के मामलों को अस्वीकार कर दिया
गया। अपीलकर्ताओं तथा अन्य प्रभावित कांस्टेबलों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा
खटखटाया और माननीय एकल न्यायाधीश ने याचिकाएँ स्वीकार करते हुए सरकार को
घ याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया। ऐसे आदेश के बावजूद
सरकार ने बिना किसी कारण के आवेदकों को पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में नियुक्त
नहीं किया। अवमानना याचिकाएँ दायर करनी पड़ीं, किन्तु उन आदेशों का भी पालन
नहीं किया गया। लेटर्स पेटेंट अपील में भी खंडपीठ द्वारा पुनः निर्देश जारी किए गए।
ङ किसी भी स्थिति में, एस.डब्ल्यू.पी. संख्या 519/1987 (अब्दुल राशिद राठर) के निर्णय
के पश्चात् सरकार को अपीलकर्ताओं को भी वही लाभ प्रदान कर देने चाहिए थे, जो
नहीं किया गया। अतः माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा याचिका स्वीकार करना पूर्णतः
उचित था। माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय एवं आदेश को निरस्त करके तथा
च लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार कर तथा पुनर्विचार याचिका खारिज कर उच्च न्यायालय
की खंडपीठ ने विधि तथा अधिकार-क्षेत्र दोनों की दृष्टि से त्रुटि की है और इसलिए
वर्तमान अपीलों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

छ

12. प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दूसरी ओर उच्च
न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश का समर्थन किया। उन्होंने
प्रस्तुत किया कि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को निरस्त
ज करने में खंडपीठ सही थी, क्योंकि खंडपीठ के मतानुसार विनियम 174 में शिथिलता
प्रदान कर रिट-याचिकाकर्ताओं को पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में नियुक्त कर लाभ
प्रदान करने का कोई कारण नहीं था। यह कहा गया कि जहाँ तक हमीदुल्लाह डार का
प्रश्न है, उनके पास स्नातकोत्तर उपाधि थी और उनका मामला पूर्णतः भिन्न था। इसी

झ

कारण पुलिस महानिदेशक ने उनके नाम की अनुशंसा की और उन्हें पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। अन्य कांस्टेबलों के पास ऐसी योग्यता नहीं थी, अतः पुलिस महानिदेशक ने उनके मामलों की अनुशंसा करना उचित नहीं समझा और ऐसी कार्यवाही में कोई अवैधता नहीं थी।

13. प्रतिवादी-राज्य के अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएँ स्वीकार कर ली गई थीं और प्राधिकारियों को उनके मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। किन्तु यह कहा गया कि प्राधिकारियों ने रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार किया और उन्हें पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, अतः उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। यह भी स्वीकार किया गया कि अब्दुल राशिद राठर की रिट याचिका स्वीकार की गई थी और उन्हें लाभ प्रदान किया गया था, किन्तु यह केवल इसलिए किया गया क्योंकि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट जारी की गई थी, जिसे खंडपीठ तथा इस न्यायालय द्वारा भी पुष्टि प्राप्त हुई थी। चूँकि रिट याचिका स्वीकार की गई थी और उस निर्णय को खंडपीठ तथा इस न्यायालय ने अनुमोदित किया था, इसलिए प्राधिकारियों के पास उस आदेश का पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अतः उक्त तथ्य को अपीलकर्ताओं के पक्ष में नहीं माना जा सकता। जब अपीलकर्ताओं के पक्ष में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा इसी प्रकार का आदेश पारित किया गया और अब्दुल राशिद राठर को दिए गए लाभ के समान लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया, तब राज्य सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की और खंडपीठ ने अंतःन्यायालय अपील स्वीकार कर ली। ऐसी स्थिति में राज्य प्राधिकारियों की कार्यवाही को अवैध नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलें खारिज की जानी चाहिए।

14. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात् हमारी राय में अपीलें स्वीकार किए जाने योग्य हैं। प्रथम, अनेक कांस्टेबलों ने प्राधिकारियों से पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निवेदन किया था। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय ने सभी आवेदनों को पुलिस महानिदेशक को भेजा, जिन्होंने केवल हमीदुल्लाह डार के नाम की अनुशंसा की। यह कहा गया कि उक्त कांस्टेबल के पास स्नातकोत्तर योग्यता थी और पुलिस महानिदेशक ने विनियमों में शिथिलता प्रदान कर उन्हें पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति के

क लिए उपयुक्त समझा। भले ही यह मान लिया जाए कि शैक्षणिक योग्यता एक प्रासंगिक
विचार था, अधिक से अधिक इससे यही सिद्ध होता है कि हमीदुल्लाह डार की नियुक्ति
उचित थी, इससे अधिक कुछ नहीं।

15. किन्तु जब अब्दुल राशिद राठर का समान मामला माननीय एकल
न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हुआ और उनकी रिट याचिका स्वीकार कर प्राधिकारियों
ख को उन्हें पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में नियुक्त करने तथा परिणामी लाभ प्रदान करने
का निर्देश दिया गया, तब वर्तमान अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर
याचिका स्वीकार करते हुए तथा राज्य प्राधिकारियों को समान निर्देश जारी करते हुए
ग उस निर्णय का अनुसरण करने में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा कोई विधिक त्रुटि
नहीं की गई कही जा सकती। विशेष रूप से इसलिए कि माननीय एकल न्यायाधीश
का उक्त निर्णय उच्च न्यायालय की खंडपीठ तथा इस न्यायालय द्वारा भी पुष्टि
किया गया था, क्योंकि विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई थी।

16. हमारे विचार में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में सरकार
घ को अंतःन्यायालय अपील दायर किए बिना ही माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय
को स्वीकार और उसका सम्मान करना चाहिए था। खंडपीठ के समक्ष ऐसा कोई भिन्न
तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह कहा जा सके कि यद्यपि अब्दुल राशिद राठर
को लाभ दिया गया था और माननीय एकल न्यायाधीश ने उन लाभों को रिट
ङ याचिकाकर्ताओं तक विस्तारित करने का आदेश दिया था, तथापि वे इसके अधिकारी
नहीं थे क्योंकि अब्दुल राशिद राठर का मामला भिन्न था। हमारे समक्ष भी ऐसा कोई
विशेष अथवा असाधारण तथ्य या परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई जिससे अब्दुल राशिद
च राठर के मामले और वर्तमान अपीलकर्ताओं के मामले में भेद स्थापित किया जा सके।
अतः हमारे मत में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका स्वीकार करना
पूर्णतः उचित था और खंडपीठ को उस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

छ 17. यद्यपि प्रतिवादी-राज्य के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि संविधान के
अनुच्छेद 14 या 16 का सहारा लेकर अवैधता को स्थायी नहीं बनाया जा सकता। यह
प्रस्तुत किया गया कि यदि कोई अवैध कार्यवाही की गई हो, तो समान स्थिति वाला
व्यक्ति अनुच्छेद 14 या 16 का सहारा लेकर उसी प्रकार की अवैध राहत की मांग
ज नहीं कर सकता। राज्य के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस विधिक सिद्धांत के संबंध में
कोई मतभेद नहीं हो सकता। किन्तु वर्तमान मामले में हमारे मत में अब्दुल राशिद
राठर द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 519/1987 को स्वीकार करते समय तथा
झ आवश्यक निर्देश जारी करते समय माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा कोई अवैधता नहीं

की गई थी। चूँकि वह कार्यवाही विधि के अनुरूप थी, खंडपीठ ने भी उसे पुष्टि की और इस न्यायालय ने भी उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा तथा विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। इन परिस्थितियों में हमारे मत में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका संख्या 519/1987 के निर्णय का अनुसरण करते हुए वर्तमान रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में भी वही आदेश देना पूर्णतः उचित और न्यायसंगत था। निष्पक्षता की दृष्टि से तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब्दुल राशिद राठर के मामले का निर्णय अंतिम हो चुका था, राज्य प्राधिकारियों को वर्तमान रिट-याचिकाकर्ताओं को भी वही लाभ प्रदान कर देने चाहिए थे। किन्तु इसके विपरीत उन्होंने माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ को माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर देना चाहिए था। किन्तु खंडपीठ ने अपील स्वीकार कर माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय एवं आदेश को निरस्त कर दिया। हमारे विचार में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश वैध, उचित तथा न्याय, समानता और निष्पक्षता की उन्नति में था। अतः उक्त आदेश को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।

18. उपर्युक्त कारणों से वर्तमान अपीलें स्वीकार किए जाने योग्य हैं और तदनुसार स्वीकार की जाती हैं। लेटर्स पेटेंट अपील तथा पुनर्विचार याचिका में खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश निरस्त किए जाते हैं तथा एस.डब्ल्यू.पी. संख्या 3735/1997 में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है। अपीलकर्ताओं को वे सभी राहतें प्रदान करने का अधिकार होगा जो 24 सितम्बर 1998 के निर्णय एवं आदेश एस.डब्ल्यू.पी. संख्या 519/1987 के अनुपालन में अब्दुल राशिद राठर को प्रदान की गई थीं। प्रतिवादी-राज्य, जम्मू एवं कश्मीर आज से तीन माह की अवधि के भीतर अब्दुल राशिद राठर को प्रदान किए गए सभी लाभ अपीलकर्ताओं को भी प्रदान करेगा।

19. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलें व्यय सहित स्वीकार की जाती हैं।

के.के.टी. अपीलें स्वीकार की गईं।

*यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।